	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 10, सोमवार शाके 1941–जुलाई 01, 2019 *Asadha 10, Monday, Saka 1941–July 01, 2019*	

भाग 3 (क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, 28 जून, 2019

संख्या एफ.13(12)विशा/विस/2019 .- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 जैसा कि दिनांक **28 जून, 2019** को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर
सचिव।

2019 का विधेयक सं. 12

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

यत:, समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन सृजन के संवर्धन की दृष्टि से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उद्यमिता का संवर्धन करना राज्य का लक्ष्य है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट को प्रभावी करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 4 मार्च, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र" से धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदन" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में किसी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, अनुज्ञापन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति इत्यादि अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी या कोई स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या किसी राजस्थान विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के लिए अनुमोदन मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(घ) "जिला सशक्त समिति (जि.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "उद्यम" से कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27), समय-समय पर यथासंशोधित, में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल एजेंसी" से धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य सशक्त समिति (रा.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

3. नोडल एजेंसी.- (1) सरकार और राज्य सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विनिधान संवर्धन ब्यूरो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

(2) सरकार और जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला उद्योग केन्द्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

4. नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य.- (1) सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का अभिलेख संधारित करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसियों को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसेकि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ठीक समझे।

5. घोषणा का फाइल किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो कोई उद्यम आरंभ करने का आशय रखता है, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.- कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, वह इस उप-धारा के अधीन कोई उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प भी दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी उस व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के अधीन घोषणा दी है, विहित प्ररूप में, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव.- (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई अनुमोदन हो और तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, उस उद्यम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त करने होंगे:

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति को मास्टर योजना, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रवृत्त है, में विनिर्दिष्ट भूमि-उपयोग से भिन्न किसी भूमि-उपयोग का हकदार नहीं बनायेगा। यह किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 में यथाविनिर्दिष्ट निर्बंधित प्रवर्ग अर्थात् चरागाह भूमि, जलाशय आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेगा।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट.- जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है वहां सरकार या, यथास्थिति, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को, धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार, नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, इस

अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

9. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

(2) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध, निम्नलिखित अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे और इन अधिनियमितियों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जायेंगे, अर्थात्:-

(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3);
(ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15);
(ग) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35);
(घ) राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 12);
(ङ) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25);
(च) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13);
(छ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18);
(ज) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2); और
(झ) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39)।

10. व्यावृत्तियां.- धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी उद्यम को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के लागू होने से या तदधीन विहित किन्हीं विनिमयकारी अध्युपायों और मानकों से छूट दी गयी है।

11. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

12. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे

जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमकर्ता, कारबार आरंभ करने में विभिन्न सरकारी विभागों से अनुमोदनों से संबंधित बाधाओं सहित अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन-सृजन में बड़ा योगदान है। इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की तीव्र वृद्धि और स्थापना को सुकर बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, ऐसे उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित विभिन्न अनुमोदनों और निरीक्षणों से आरंभिक तीन वर्ष की कालावधि के लिए छूट देना और उसके पश्चात् भी ऐसे अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए उन्हें छह मास की कालावधि अनुज्ञात करना समुचित समझा गया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 4 मार्च, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 4 मार्च, 2019 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को आशय की घोषणा दी जा सकेगी, विहित करने हेतु सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 12, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 12 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, *with a view to promote inclusive economic growth and employment generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of micro, small and medium enterprises;*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4thMarch,2019.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Acknowledgment Certificate" means the acknowledgment certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no-objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any Rajasthan Law in connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of Rajasthan;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement trust or any other authority or agency constituted or established by or under any Rajasthan Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "District Empowered Committee (DEC)" means the District Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011(Act No. 7 of 2011);

(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;

(f) "Government" means the State Government of Rajasthan;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the Micro, Small or Medium Enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;

(h)"nodal agency" means the nodal agency referred to in section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajasthan Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(k) "State" means the State of Rajasthan; and

(l)"State Empowered Committee (SEC)" means the State Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011(Act No. 7 of 2011).

3. Nodal Agency.-(1) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee, Bureau of Investment Promotion shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.

(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Empowered Committee, District Industries Centre shall be the District level Nodal Agency for the purpose of this Act.

4. Powers and functions of nodal agencies.- (1)Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agencies shall be as follows: -

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of Declaration of Intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

5. Filing of Declaration.- (1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the State level nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation.-Any person who has moved the Competent Authority to so obtain all or any of the approvals as defined in clause (b) of section 2 before the commencement of this Act may also opt to furnish Declaration of Intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration completed in all respects, the State level nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the person who furnished the declaration under sub-section (1).

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.- (1) An Acknowledgment Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (b) of section 2,for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:

Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person to use the land falling in restricted category namely pasture land, water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No.3 of 1955).

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (b) of section 2.

7. Exemption.- Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.

8. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

9. Act to override other laws.– (1)The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the time being in force.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as amended in conformity with the provisions of this Act, namely:-

(a) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
(b) Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
(c) Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act. No.35 of 1959);
(d) Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Act No.12 of 1971);
(e) Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
(f) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
(g) Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
(h) Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009); and
(i) Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013).

10. Savings.- Subject to the provisions of section 7, nothing in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

11.Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

12. **Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such

modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

13. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises(Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 1of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal and without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Entrepreneurs of micro, small and medium enterprises face numerous challenges in starting a business including obstacles relating to approvals from various Government Departments.

Micro, small and medium enterprises have major contribution in inclusive economic growth and employment generation. Therefore, in order to facilitate rapid growth and establishment of micro, small and medium enterprises, it was considered appropriate to give exemption to micro, small and medium enterprises from various approvals and inspections required for establishment and operation of such enterprises for an initial period of three years and also to allow them a period of six months thereafter to obtain such approvals.

Since, the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 1 of 2019) on 4th March, 2019, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 4th March, 2019.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government, to prescribe the form and manner in which a Declaration of Intent may be furnished to the State level nodal agency.

Clause 12 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules generally for carrying out the provisions of this Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected therewith or incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर